न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः भवानी सिंह देथा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या — 60/2016 अपील (RCMS/2016/00105)
पंजीयन दिनांक — 21.07.2016
निर्णय दिनांक — 30.04.2019

1. श्री उदयलाल पिता जालू जी दाधिच ब्राह्मण, निवासी कुंवारिया, तहसील व जिला राजसमन्द मृतक के बजाय–

1/1 श्री भगवतीलाल पिता स्व. श्री उदयलाल ब्राह्मण, निवासी कुंवारिया, तहसील व जिला राजसमन्द।

–अपीलान्ट

बनाम

1. श्री मनोहरलाल पिता श्री कन्हैयालाल दाधीच, निवासी कुंवारिया, तहसील व जिला राजसमन्द।
2. श्री रामेश्वरलाल पिता स्व. श्री उदयलाल ब्राह्मण, निवासी कुंवारिया, तहसील व जिला राजसमन्द।

–रेस्पोडेन्टस्

उपस्थितिः–
1. श्री सम्पतलाल बोहरा — वकील अपीलान्ट
2. श्री लोकेश गहलोत — वकील रेस्पोडेंट संख्या–1

प्रकरण संख्या–02/2012, श्री मनोहरलाल दाधिच बनाम श्री उदयलाल दाधिच में न्यायालय उप तहसीलदार, कुंवारिया द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.06.2016 के विरूद्ध अपील अन्तर्गत धारा–75 भू–राजस्व अधिनियम 1956

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय

दिनांक 30.04.2019

उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा न्यायालय उप तहसीलदार, कुंवारिया द्वारा द्वारा प्रकरण संख्या–02/2012, श्री मनोहरलाल दाधिच बनाम श्री उदयलाल दाधिच में पारित निर्णय दिनांक 29.06.2016 के विरुद्ध पेश की गई है।

प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है–

- रेस्पोडेंट संख्या–1 श्री मनोहरलाल दाधिच द्वारा अधीनस्थ न्यायालय समक्ष एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उसके बडे पिताजी श्री लक्ष्मीलाल व उनकी पत्नि द्वारा एक वसीयत उसके पक्ष में कर उनकी अचल सम्पत्ति (उनके खातेदारी की भूमियां) निष्पादित की गई। श्री लक्ष्मीलाल एवं

उनकी पत्नि का स्वर्गवास हो गया है। अतः उसके नाम से यानि श्री मनोहरलाल के नाम से नामान्तरकरण दर्ज करने की स्वीकृति प्रदान करावें।

- उप तहसीलदार, कुंवारिया द्वारा प्रकरण संख्या 02/2012 दर्ज कर वसीयतकर्ता श्री लक्ष्मीलाल पिता श्री जालमचन्द ब्राह्मण निवासी कुंवारिया के नाम राजस्व ग्राम कुंवारिया, आकोदिया को खेड़ा, खेमाखेडा, गाडरियावास में स्थित कृषि भूमियों को प्रार्थी श्री मनोहरलाल पिता कन्हैयालाल ब्राह्मण निवासी कुंवारिया के नाम पर राजस्व रिकार्ड में अकंन करने का आदेश दिनांक 29.06.2016 को पारित किया।

अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार, कुंवारिया द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.06.2016 के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई। यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस् को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। वकील अपीलान्ट व वकील रेस्पोडेंट संख्या–1 उपस्थित। उपस्थित अधिवक्ताओं की एकतरफा बहस दिनांक 23.04.2019 को सुनी गई। रेस्पोडेंट संख्या–2 की ओर से लिखित बहस प्राप्त।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील एवं बहस में प्रस्तुत किया है कि उक्त जायदाद मौरूसी है जिसका उल्लेख अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में भी किया गया जिसकी वसीयत नहीं की जा सकती है। कथित वसीयत फर्जी बनायी गई है तथा वसीयत मृत्यु के बाद फर्जी बनाकर नोटेरी कराई गई है जबकि अगर लक्ष्मीलाल स्वेच्छा से अपनी जमीन की वसीयत करता तो उसका पंजीयन अवश्य करवाता। पंजीयन करवाना संभव नहीं होने से इस फर्जी वसीयत का पंजीयन नहीं कराया जा गया। तथाकथित जायदाद में मालिक काबिज नेचुरल वारिसान के अनुसार अपीलान्ट है तथा नियमानुसार धारा 40 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के अनुसार नेचुरल वारिसान के नाम मृतक की जमीन का नामान्तरकरण किया जाना होता है। इस मामलें में मृतक ने कोई वसीयत नहीं की है तथा मनोहरलाल द्वारा फर्जी वसीयत बनाकर अपने मिलने वालों से साखें दिलाई जाकर मृतक की समस्त सम्पत्ति को अपने नाम पर करवाया जिसका कोई हक व अधिकार नहीं है। इस मामलें में वसीयत को वैलीड या अनवैलीड घोषित करने का अधिकार तहसीलदार को नहीं है जबकि किसी वसीयत को कोई व्यक्ति चैलेंज करता है तथा फर्जी होना कहता है तो वसीयत के आधार पर न तो नामान्तरकरण खोला जा सकता है, न ही स्वीकृत ही किया जा सकता है। जिसमें हक में वसीयत है, उसे वसीयत के आधार पर उसे हक अधिकार मिलते है, इस बात की घोषणा का वाद सक्षम न्यायालय में पेश किया जाकर वसीयत से अपने हक अधिकारों को दीवानी न्यायालय में तय कराया जा सकता है। जब तक वसीयत अनडिस्प्यूटेड नहीं हो तब तक वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण नहीं किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित वसीयत को वैलीड घोषित किया जो बिना अधिकार के है। अधीनस्थ न्यायालय को ऐसी घोषणा करने का कोई अधिकार नहीं है। वसीयत अनरजिस्टर्ड है और अनरजिस्टर्ड वसीयत की वेलिडिटी केवल सिविल न्यायालय द्वारा ही तय की जा सकती है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

विद्वान वकील अपीलान्ट ने यह भी कथन किया कि मनोहरलाल ने कथित वसीयत फर्जी बनाई है तथा फर्जी व्यक्ति खड़ा कर उसके अंगूठे की निशानी लगवाई है जबकि लक्ष्मीलाल पढ़ा लिखा व्यक्ति होकर हस्ताक्षर करता था परन्तु जानबूझकर उनके नाम का फर्जी अंगूठा लगवा फर्जी वसीयत तैयार की है, ऐसी वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण स्वीकृत नहीं किया जा सकता है। वसीयत में जिस प्लॉट व जमीन की वसीयत की गई है, उस प्लॉट का केस पहले से ही सिविल न्यायालय में चल रहा है तथा उस केस में उदयलाल ने उस प्लॉट के कब्जेयाबी का दावा पेश कर रखा है जिसमें प्रतिवादी मनोहरलाल भी पक्षकार है तथा उस प्लॉट का वसीयत में उसे मिलना बताते तथा उस विवाद को न्यायालय में तय नहीं करवाया गया है, ऐसी स्थिति में म्यूटेशन नहीं किया जा सकता है। उपरोक्त परिस्थितियों में प्रकरण में वसीयत के आधार पर नामान्तकरण स्वीकृत न होकर नेचुरल वारिसान यानि अपीलान्ट के नाम नामान्तरकरण स्वीकृत होना चाहिए। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावें।

अपने कथन के समर्थन में विद्वान वकील अपीलान्ट ने न्यायिक दृष्टांत– आरआरटी 2004(2) पेज 1140, आरआरटी 2003(1) पेज 650, आरआरटी 2003(2) पेज 870, आरबीजे 2004 पेज 520, आरआरटी 2006–07 पेज 277, आरआरडी 2004 पेज 727, आरआरडी 1998 पेज 553, आरबीजे 2008 पेज 67, आरआरडी 2019 पेज 95, पेश किए।

विद्वान वकील रेस्पोडेंट संख्या–1 ने बहस में प्रस्तुत किया है कि रेस्पोडेंट संख्या–1 श्री मनोहरलाल के बडे पिताजी श्री लक्ष्मीलाल व उनकी पत्नि द्वारा एक वसीयत उसके पक्ष में कर उनकी अचल सम्पत्ति (उनके खातेदारी की भूमियां) निष्पादित की गई। श्री लक्ष्मीलाल एवं उनकी पत्नि का स्वर्गवास हो गया है, उसके उपरान्त रेस्पोडेंट–1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय समक्ष उसके नाम से नामान्तरकरण स्वीकृत हेतु आवेदन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय समक्ष जालमचन्द के वारिसान श्रीमती सज्जनबाई, जमनाबाई, व कन्हैयालाल ने वसीयत की सत्यता पर अपनी सहमति जाहिर की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वसीयत की वैधता की जांच की क्रम में सम्बन्धित लोगों के साक्ष्य लिये गऐ और पाया की वसीयत वैध है जिसके आधार पर वसीयतकर्ता श्री लक्ष्मीलाल पिता श्री जालमचन्द ब्राह्मण निवासी कुंवारिया के नाम राजस्व ग्राम कुंवारिया, आकोदिया को खेड़ा, खेमाखेडा, गाडरियावास में स्थित कृषि भूमियों को प्रार्थी श्री मनोहरलाल पिता कन्हैयालाल ब्राह्मण निवासी कुंवारिया के नाम पर राजस्व रिकार्ड में अकंन करने का आदेश दिनांक 29.06.2016 को पारित किया जो पूर्णतया विधि सम्मत होने से अपील अपीलान्ट निरस्त फरमाई जावें।

रेस्पोडेंट संख्या–2 ने लिखित बहस में प्रस्तुत किया है कि श्री लक्ष्मीलाल व श्रीमती राजीदेवी ने अपने विभाजित हिस्से के जमीन की वसीयत दिनांक 26.12.2006 को रेस्पोडेंट संख्या–1 मनोहरलाल के पक्ष में की है तो सत्य है। वसीयत पर जो आक्षेप लगाये है, वह निराधार है। तहसीलदार ने विधिवत निर्णय पारित किया है, वसीयत सही होकर अधीनस्थ न्यायालय में साबित भी की जा चुकी है। अतः उक्त अपील को खारिज फरमाया जावें।

हमने उपस्थित अधिवक्ताओं की लिखित, मौखिक बहस एवं न्यायिक दृष्टांतों पर मनन किया तथा पत्रावलियों पर उपलब्ध दस्तावेजो का गहनता से एवं सावधानीपूर्वक अध्ययन किया।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से ज्ञात होता है कि श्री लक्ष्मीलाल द्वारा अपने हिस्से की भूमि, जो तीनों भाईयों को विभाजन से 1/3, 1/3, 1/3 प्राप्त हुई, की वसीयत श्री मनोहरलाल के पक्ष में निष्पादित की है। उक्त विभाजन को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गवाहान के लिये गए बयानों में प्रमाणित किया है। नामान्तरकरण की कार्यवाही में सरसरी जांच नामान्तरकरण तस्दीक करने वाली आथोरिटी के स्तर पर की जानी वांछित है, जिसके क्रम में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जांच कार्यवाही सम्पादित की गई। उप तहसीलदार को वसीयत के आधार पर नामान्तकरण के मामलें में वसीयत में जांच करने का अधिकार है यद्यपि विवादग्रस्त वसीयत के सम्बन्ध में में अंतिम निर्णय सिविल न्यायालय का ही बाध्यकारी होग किन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं कि जिस आधार पर नामान्तरकरण चाहा गया है उस आधार की उप तहसीलदार जांच न करें। प्रश्नगत प्रकरण में उक्त वसीयत को अपीलान्ट द्वारा किसी सक्षम न्यायालय में चुनौती दी गई है, इस सम्बन्ध में पत्रावली पर कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। न ही किसी सक्षम न्यायालय में वसीयत को निरस्त कराने या फर्जी घोषित कराने का दावा प्रस्तुत किया जाना प्रतीत होता है। जब तक उक्त वसीयत को किसी भी सक्षम न्यायालय में निरस्त नहीं कराया जाता है, तब कर उसकी वैधता/सत्यता पर प्रश्न किया जाना उचित नहीं है, आलौच्य आदेश पारित किये जाने पूर्व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सम्बन्धित व्यक्तियों के साक्ष्य लिए गए जिन्होनें वसीयत की सत्यता/वैधता को साबित किया है। विधि के प्रतिपादित सिद्वान्त अनुसार वसीयत का रजिस्टर्ड होना भी आवश्यक नहीं है। इस सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय में वर्णित न्यायिक दृष्टांत इस कथन का समर्थन करते है। साथ ही श्री जालू जी के वारिसान श्रीमती सज्जनबाई, जमनाबाई व कन्हैयालाल ने अधीनस्थ न्यायालय समक्ष उपस्थित होकर वसीयत से श्री मनोहरलाल के नाम नामान्तकरण स्वीकृत करने में अपनी सहमति व्यक्त की है, हस्ताक्षर व निशानी ताईद में अंकित किये है। अपीलांट के भाई श्री रामेश्वरलाल द्वारा भी उक्त वसीयत को सत्य माना है और अपीलान्ट के वसीयत के सम्बन्ध में किए आक्षेपों को निराधार माना है। अपीलार्थी द्वारा अपने कथन के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये है एवं न ही अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर इस प्रकरण में सुंसगत नहीं है, न ही चस्पा होते है।

प्रकरण में उप तहसीलदार, कुंवारिया द्वारा नियमानुसार कार्यवाही करते हुए आलौच्य नामान्तकरण स्वीकृत किया गया है। इन्ही तथ्यों एवं उपरोक्त परिस्थितियों के मध्यनजर अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार, कुंवारिया द्वारा प्रकरण में तथ्यों की पूर्ण जांच व विवेचना कर, विधिक प्रावधानों पर विचार कर, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का परिक्षण एवं विश्लेषण करते हुए विधिसम्मत निर्णय पारित किया जाना प्रतीत होता है, जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं समझते है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार, कुंवारिया का निर्णय दिनांक 29.06.2016 यथावत रखा जाता है। अपीलार्थी अपने अधिकारों हेतु वाद बाबत घोषणा सक्षम न्यायायल में कर सकते है।

निर्णय आज दिनांक 30.04.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवानी सिंह देथा)
संभागीय आयुक्त, उदयपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official